रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222660 CG-DL-E-22102020-222660

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] No. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 664(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --इस नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 के उपनियम (2) में—
 - (i) पांचवें परंतुक में, "एए" अक्षर के स्थान पर, "ए" अक्षर रखा जाएगा;
 - (ii) आठवें परंतृक में, ''एए'' अक्षर के स्थान पर, ''ए'' अक्षर रखा जाएगा; और
 - (iii) ग्यारहवें परंतुक में, ''एए'' अक्षर के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''ए'' अक्षर रखा जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 84/2020/फा.सं. 370149/76/2019-टीपीएल]

गुदरुन नेहर, निदेशक (टीपीएल-II)

5141 GI/2020 (1)

टिप्पण— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, का.सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

अधिसूचना सं. 84/2020, तारीख 22 अक्तूबर, 2020

आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 का अधिसूचना सं0 84 /2020, तारीख 22 अक्तूबर, 2020 द्वारा संशोधन किया गया । उक्त संशोधन निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए प्रभावी होगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020.

- **G.S.R.** 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Income-tax (23rd Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2021.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 67, in sub-rule (2),
 - (i) in the fifth proviso, for the letters "AA", the letter "A" shall be substituted;
 - (ii) in the eighth proviso, for the letters, "AA", the letter "A" shall be substituted; and
 - (iii) in the eleventh proviso, for the letters, "AA" occurring at both the places, the letter "A" shall be substituted.

[Notification No. 84/2020/F. No. 370149/76/2019-TPL]

GUDRUN NEHAR, Director (TPL-II)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Subsection (ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number G.S.R No.610 (E) dated 1st October, 2020.

Explanatory Memorandum

Notification No.84/2020, dated 22 October, 2020

Vide Notification No. 84 /2020, dated 22 October, 2020, Rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 has been amended. The said amendment shall be effective from Assessment Year 2021-22 and subsequent years.